कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2677 / 12-1 : देहरादूनः दिनांकः 06 मई, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD /143929/2021)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 86 / 2021 / एफ0सी0 / 1141, दिनांक 06.12.2021

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक संख्या–4379 / 12–1 दिनांक 05.04.2025 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर की 23 बिन्दुओं की अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
3(क)	प्रतिपूरक वनीकरण वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 18.106 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम जोखना चमतोली मोख एवं धनसारी खसरा न0. 807, 300,319,320,323, 2155, 1842,308 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वादेशी प्रजातियों को लगवा जाय तथा प्रतातियों की एकल कृषि से बचे।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 18.106 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम जोखना, चमतोली मोख एवं धनसारी में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 67,15,552.00 की धनराशि कैम्पा मद में आनलाईन चालान के माध्यम से जमा की गयी है। वन प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण के समय स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के पौधों को लगाये जाने तथा मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण किये जाने हेतु सहमति दी गयी है।
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांन्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के प्श्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल ग्राम जोखना, चमतोली मोख एवं धनसारी सिविल भूमि को नामान्तरण /हस्तान्तरण वन

	एफ0सी0ए0 1980 की Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं, एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	विभाग के पक्ष में कर दिया गया है, म्यूटेशन की प्रति संलग्न है। **संलग्नक–1** नामान्तरण हस्तान्तरण उपरान्त आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–1 (क)**
(ग)	वन मंडल अधिकरण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र में किसी भी प्रकार अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण–पत्र सलग्न है। **संलग्नक–2**
(घ)	The KML file of the area to be diverted the CA areas the proposed SMC Work the proposed catchment Area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the EGreen watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects of submitting compliance report for seeking stage-II approval as the case may be.	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई–ग्रीन वांच पोर्टल पर मोटर मार्ग के हस्तान्तरण की सूचना एवं सी0ए0 स्थलवार विवरण, के0एम0एल0 फाईल तथा एस0एम0सी0 कार्य का विवरण भर दिया गया है।
(ड.)	राज्य सरकार एफ0सी0ए0 1980 कर गाईडलाईन में उल्लिखित मानकों के तहत वर्तमान दरों पर सी0ए0 स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करेगी। साथ ही उपलब्ध मार्ग के विभिन्न हिस्सों में पूर्व से निर्मित मार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वर्तमान दरों से जमा धनराशि रू0 67,15,552.00 का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **संलग्नक–3** तथा साथ ही पूर्व में निर्मित मार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संलग्न की गयी है की प्रति संलग्न है **संलग्नक–4**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभंन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा किया जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधन शामिल किये जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तमन की लागत परियोजना प्रतिकरण वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित हेतु धनराशि जमा कर दी गयी है।
5 (क)	शुद्ध वर्तमान मुल्य इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 9.053 है0 वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मुल्य वसूल करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 76,49,785.00 आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मुल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई है जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–5)**।

	प्रस्तुत करेगा।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1212 वृक्षों एवं 146 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (**https://parivesh-nic.in/**) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित / जमा किए जाऐंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी धनराशि को ई–पोर्टल पर कैम्पा फण्ड में जमा किया जा चुका है।**(संलग्नक–6)**।
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़के के दोनों किनारों एवं उसके बीचों–बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। **संलग्नक–7**
10	संरक्षरित क्षेत्रों / वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगें।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाऐगा।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाऐगा।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
15	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाऐगा। जिस पर Forward/ Backward bearings अंकित हो।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाऐगा।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाऐगा।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
18	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाऐगी।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42 / 2017–एफ0सी0, दिनांक 19.01.2018 के अनुसार	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।

	उस पर कार्यवाही होगी।	
20	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीये न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाति के पौधें लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तरण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी, एवं राज्य सरकार डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षों की सूची पृथक से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुछेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुच्छेद आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (**https://parivesh-nic.in/**) पर अपलोड की जाएगी।	उक्त प्रस्ताव का म्यूटेशन सत्यापन आनलाईन कर दिया गया है। अनुपालन आख्या ई पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि नोडल कार्यालय से कतिपय बिन्दुओं पर ई0डी0एस0 आपत्ति निर्गत की गयी थी, जिसका उत्तरालेख भी प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 4770/12–1, दिनांक 29.04.2025 द्वारा प्रेषित किया गया है। उक्त अनुपालन आख्या के साथ में प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से प्राप्त ई0डी0एस0 आपत्तियों का उत्तरालेख भी संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–08)**

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों के इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत् प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या के क्रम में वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित–2023 के अन्तर्गत प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति हेतु निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2677 / 12-1/ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Gen Lett.

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर ।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

पत्रांक 4379 **/** 12-1 **,गोपेश्वर, दिनांक** 05 / 04 / **2025 ।**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून

विषयः— **जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग—घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः— **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 86 / 2021 / एफ0सी0 / 1141 दिनांक 06.12.2021.**

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग ने विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे संलग्नको सहित निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:—

क्र0 सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1.	वन भुमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भुमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभुमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 18.106 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम जोखना चमतोली मोख एवं धनसारी खसरा नं0 807, 300,319,320,323, 2155, 1842, 308 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगवा जाय तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 18.106 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम जोखना, चमतोली मोख एवं धनसारी में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 67,15,552.00 की धनराशि कैम्पा मद में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की गयी है, इस वन प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण के समय स्थानीय स्वदेशी प्रजातियो के पौधो को लगाया जायेगा तथा मिश्रित प्रजाति के पौधो का रोपण किया जायेगा।
	(ख) गैर वानकी भूमि को राज्य वन विभाग क पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।एफ0सी0ए0 1980 की guideline para 2.4 (i) के अनुसाार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है, एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों मं प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल ग्राम जोखना, चमतोली मोख एवं धनसारी सिविल भूमि का नामान्तरण / हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। म्यूटेशन की प्रति संलग्न है।**(संलग्न—1)**
	(ग) वन मंडल अधिकरण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्न है**(संलग्न—2)**।
	(घ) The KML file of the area to be diverted the CA areas the proposed SMC Work the proposed catchment Area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects of submitting compliance report for seeking stage-II approval as the case may be.	प्रभाग द्वारा ई—ग्रीन वॉच पोर्टल पर मोटर मार्ग के हस्तान्तरण की सूचना एवं सी0ए0 स्थलवार विवरण, के0एम0एल0 फाईल तथा एस0एम0सी0 कार्य का विवरण भर दिया गया है।
	(ङ) राज्य सरकार एफ0सी0ए0 1980 कर गाईडलाईन में उल्लिखित मानकों के तहत वर्तमान दरों पर सी0ए0 स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करेगी। साथ ही उपलब्ध मार्ग के विभिन्न हिस्सों में पूर्व से निर्मित मार्ग की चौड़ाई के समबन्ध में विस्तृत जानकारी राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वर्तमान दरो से जमा धनराशि रू0 67,15,552.00 का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित की जा रही है **(संलग्न—3)** तथा साथ ही पूर्व में निर्मित मार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संलग्न की गयी है की प्रति संलग्न है। **(संलग्न—4)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना एवं अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्रधिकारण वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी से वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्राधिकारण वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित हेतु धनराशि जमा कर दी गयी है।

सा0अ0वि0 / प्रभा0 / चमोली
डा0 मा0 करें
ह0
प्र0व0सं0 / नो0 अधि0
11-4-2025

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण / भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून 4557
पंजीका सं0 12-1
दिनांक 11-4-25

प्र0व0अ0
बद्रीनाथ

5.	शुद्व वर्तमान मूल्य (क) इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की wp(c) संख्या 202/1995 में आई0ए0 न0 556 दिनांक 30.10. 2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रीमडल द्वारा पत्रांक 5–1998–एफ.सी. (PT) दिनांक 18.09.2003 5–2/2006–एफ.सी. दिनाक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी से इस प्रस्ताव के तहत 9.053 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 76,49,785.00 आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है।
	(ख)विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभुमि के शुद्व मूल्य अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न की गयी है**(संलग्न–5)**।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्याा प्रस्तावित के अनुसार 1212 वृक्षों एवं 146 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के संख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त मान्य है।
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कोष प्रबन्ध और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा के खाते में ऑन पोर्टल के माध्यम से धनराशि जमा की जा चुकी है। **(संलग्न–6)**
8.	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़के के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। **(संलग्न–7)**
10	संरक्षित क्षेत्रो/वनक्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
11	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
13	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन की किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
15	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
17	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
18	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति क बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
19.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
20.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।

Akumar
प्र0व0अ0
बद्रीनाथ

21.	प्रयोक्ता एजेन्सी पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाति के पौध लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौपेंने से पूर्व इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नही होगी, एवं राज्य सरकार डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षो की सूची पृथक से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
22.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी को जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
23.	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.nic/) पर अपलोड की जायेगी।	उक्त प्रस्ताव का म्यूटेशंन को सत्यापान हेतु ऑनलाईन कर दिया गया है। म्यूटेंशन सत्यापन होने के उपरान्त अनुपालन आख्या ई पोर्टल (https//parivesh.nic.nic/) पर अपलोड़ कर दी जायेगी।

उपरोक्त प्रकरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या की 03 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है, उक्त प्रकरण के विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– / **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(संलग्न-11(1)

आदेश –

जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र थराली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण से प्रभावित होने वाली 9.053 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 18.106 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण / हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0–08बीं / यू0सी0पी0 / 06 / 52 / 2021 / एफ0सी0 दिनांक 26.08.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं / यू0सी0पी0 / 06 / 86 / 2021 / एफ0सी0 / 1141 दिनांक 06.12.2021 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार एवं **उप जिलाधिकारी चमोली की सत्यापन आख्या के आधार** पर प्रस्तावित जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण से प्रभावित होने वाली 9.053 है0 वन भूमि के एवज् में **ग्राम जोखना** रा0उ0नि0 क्षेत्र बूरा तहसील घाट की ख0खा0सं0–5 के खसरा सं0–807 रकबा 26.579 है0 भूमि मध्ये **10.942 है0 भूमि**, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, **ग्राम चमतोली चक बांसवाड़ा** रा0उ0नि0क्षेत्र मोख की ख0खा0सं0–04 के खसरा सं0–300 रकबा 0.688 है0 भूमि मध्ये 0.641 है0, खसरा सं0–319 रकबा 0.268 है0 भूमि मध्ये 0.201 है0, खसरा सं0–320 रकबा 0.162 है0 भूमि मध्ये 0.141 है0, खसरा सं0–323 रकबा 0.703 है0 **कुल 1.686 है0 भूमि**, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ग्राम चमतोली चक बांसवाड़ा की ख0खा0सं0–17 के खसरा सं0–322 रकबा 1.016 है0 भूमि मध्ये **0.478 है0 भूमि**, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–10(4) के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं **उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार** पर **ग्राम धनसारी** रा0उ0नि0क्षेत्र कण्डारा की ख0खा0सं0–12 के खसरा सं0–2155 रकबा 2.028 है0 भूमि मध्ये 2.000 है0, खसरा सं0–1842 रकबा 1.043 है0 भूमि मध्ये 1.000 है0, खसरा सं0–308 रकबा 2.329 है0 भूमि मध्ये 2.000 है0 **कुल 5.000 है0** भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, **अर्थात कुल 18.106है0** को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण / हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173 / XVIII (II) / 2012–18(120) / 2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

पत्रांक ......5798......
क्रमांक ......12-1......
दिनांक ......15/3/2022......
प्रभाग - ...... वन प्रभाग

(हिमांशु खुराना),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 3222 / छब्बीस–13 (2021–2022) गोपेश्वरः दिनांकः 14 मार्च, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ / केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. उप जिलाधिकारी / तहसीलदार, चमोली / कर्णप्रयाग।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।

जिलाधिकारी,
चमोली।

N.Z.A. खतौनी

ग्राम - धनसारी   रा० उ०नि० क्षेत्र - कण्डारा   तह० कर्णप्रयाग   जिला - चमोली

श्रेणी - 9 (3) (ङ) - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि

1	2	3	4	5	6 से 13
12	बंजर उत्तराखण्ड सरकार		124	0.020	आदेश
			128	0.058	मु० मा० श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के पत्रांक संख्या 3222/दवलील-13(2021-2022) गोपेश्वर ; दिनांक 14 मार्च, 2022 के क्रम में ग्राम धनसारी की ख० खा० सं० 12 के खसरा सं० 2155 रकबा 2.028 म० 2.000 है० खसरा सं० 1842 रकबा 1.043 म० 1.000 है० खसरा सं० 308 रकबा 2.329 म० 2.000 है० कुल 5.000 है० भूमि जो कि NZA श्रेणी 9(3) ङ कृषि योग्य भूमि के रूप में दर्ज है जो वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण / हस्तांतरण किए जाने की स्वीकृति शासनादेश सं० 2173/XVIII(II)/2012-18(20)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है। तदनुसार अमलदरामद किया।
			xx	xxx	
			xx	xxx	
			xx	xxx	
			308	2.329	
			310	0.005	
			xx	xxx	
			xx	xxx	
			1074	0.005	
			1098	0.019	
			xx	xxx	
			xx	xxx	
			1842	1.043	
			1843	0.004	
			xx	xxx	
			xx	xxx	
			2155	2.028	
			2156	1.619	ह० 01/04/22 रा०उ०नि० कण्डारा
	योग		156	12.534	

नकल N.Z.A. खतौनी असल से तैयार किया।

P.C. Attested
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

ह० 01/04/22
नीतू खाली
रा०उ०नि० Kandara
तहसील K.P.G. (चमोली)

नकल ज़ग० वि० २० खनौली ग्राम [illegible] क० वि० घाट
तहसील घाट जिला-चमोली
श्रेणी 7 (3-क)

1	2	3	4	5	6	7
4	बंजर		84	0.16		आदेश
			300	0.388		मुताबिक [illegible] जिलाधिकारी [illegible] संख्या 3229/
			319	0.268		[illegible] के कार्यालय आदेश संख्या [illegible]
			320	0.162		[illegible] (2021-2022 [illegible]
			323	0.702		14 मार्च 2022 के अनुपालन में ग्राम [illegible] के ज० वि० २० खनौली
						[illegible] श्रेणी 4 के खसरा नं० 300 रकबा 0.688 है०
						[illegible] 0.61 है० खसरा 319 रकबा 0.268 [illegible] 0.141 है०
						खसरा नं० 320 रकबा 0.162 [illegible]
						खसरा नं० 323 रकबा 0.703 कुल 1.686 [illegible]
						[illegible] मोटर मार्ग [illegible]
						हेतु [illegible]
						[illegible] (वन संरक्षण) भारत सरकार [illegible] -08 [illegible]
						[illegible]
						[illegible] 6/52/2021 [illegible]
						26-08-2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान
						होने के [illegible] दर्ज किया।
		योग	5	1.588		

[illegible] राजस्व [illegible]
01-04-2022

नकल खतौनी असल से तैयार किया

01-04-2022
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र ...घाट
तहसील......घाट
जिला-चमोली

[illegible] 2/4/22

P.C Attested.
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

नकल N2A खतौनी

ग्राम- जोशीमठ पट्टी/तहसील - [illegible] तह० [illegible] चमोली

श्रेणी - 9 (3) ङ

01	02	03	04	05	06	07 — 13
5	बंजर		1	0.520		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के आदेश सं० 3222/छब्बीस-13 (2021-2022) दिनांक 15 मार्च 2022 के अनुपालन में दिनांक [illegible] ग्राम जोशीमठ के खाता संख्या 5 से [illegible] 807 रकबा 26.579 हे० मध्ये 10.942 हे० भूमि जो श्रेणी 9 (3) ङ की है, जो [illegible] ओवरहेड माल के चौड़ीकरण व सुधार कारण से प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित होने से अमलदरामद किया, ह० प्रा० रा० उ० नि० [illegible] 1/4/22
			14	0.100		
			[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	[illegible]		
			75	0.145		
			76	0.039		
			[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	[illegible]		
			802	2.232		
			804	0.301		
			807	26.579		
			92	76.378		

नकल खतौनी असल से तैयार की गयी है।

[signature] 1/4/22

रा०उ०नि०पुरा
तहसील–[illegible]
जिला–चमोली

[signature] 1/4/2022

P. C Attested
[signature]
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

संलग्नक - 01 (क)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या एफ्ज्ञाप्त्त|वृ143929ई2021 जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–घाट–मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण से प्रभावित होने वाली 9.053 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम जोखना रा0उ0नि0 क्षेत्र बूरा तहसील घाट की ख0खा0सं0– 05 के खसरा नम्बर 807 में 10.942 हैक्टेयर, ग्राम चमतोली चक बांसवाड़ा रा0उ0नि0 क्षेत्र मोख की ख0खा0सं0– 4 के खसरा संख्या 300 में 0.641 हैक्टेयर, खसरा संख्या 319 में 0.201 हैक्टेयर, खसरा संख्या 320 में 0.141 हैक्टेयर, खसरा संख्या 323 में 0.703 हैक्टेयर कुल 1.686 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम चमतोली चक बांसवाड़ा की ख0खा0सं0– 17 के खसरा संख्या 322 में 0.478 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम धनसारी रा0उ0नि0 क्षेत्र कण्डारा की ख0खा0सं0– 12 के खसरा संख्या 2155 में 2.00 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1842 में 1.00 हैक्टेयर, खसरा संख्या 308 में 2.00 हैक्टेयर कुल 5.00 हैक्टेयर भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 3222/छब्बीस–13 (2021–22) दिनांक 14.03.2022 से हस्तान्तरित/आवंटित कर वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद करा दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, तथा इसके संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने हेतु शासन से अधिसूचना की कार्यवाही की जा रही है।

(हस्ताक्षर) 7/5/25
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

Scanned by CamScanner

ERKA N-643
20/11/2024

04/LAC

ADM(C)
13-11-24

प्रेषक,
उप जिलाधिकारी
चमोली ।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
चमोली।

संख्याः– 69 /एस0पी0ए0–विविध (2024–2025) चमोली दिनांक 11 नवम्बर,2024

विषयः– **जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 है0 वनभूमि का गैर.वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या–2236/10एल0ए0 दिनांक 18.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो इस कार्यालय को सम्बोधित तथा महोदय को पृष्ठांकित है।

उक्त के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार घाट द्वारा अपने पत्र संख्या 31/र0का0–क्षतिपूरक वृक्षा0 (2023–2024) दिनांक 07 नवम्बर,2024 से निम्नवत् आख्या प्रेषित की गयी है:–

1–रा0उ0नि0 बूरा की आख्यानुसार अवगत कराया गया है कि नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण से प्रभावित होने वाली 9.053 है0 वनभूमि के एवज में ग्राम जोखना रा0उ0नि0 बूरा तहसील घाट की ख0खा0सं0– 5 के खसरा संख्या–807 रकवा 26.569 है0 मध्ये 10.942 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किया गया है। उक्त भूमि नॉन जेडए श्रेणी–9(3)ङ की है तथा उक्त भूमि पूर्व में अन्य योजनान्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

2– इसी प्रकार राजस्व उपनिरीक्षक मोख अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण से प्रभावित होने वाली 9.053 है0 वनभूमि के एवज में ग्राम चमतोली चक बांसवाड़ा, रा0उ0नि0 मोख, तहसील घाट की ख0खा0सं0–4 के खसरा संख्या–300 रकवा 0.688है0 भूमि मध्ये 0.641 है0, खसरा संख्या–319 रकवा 0.268 है0 भूमि मध्ये 0. 0201है0, खसरा सं0 320 रकवा 0.162 है0 भूमि मध्ये 0.141है0 खसरा संख्या 323 रकवा 0.703 है0 कुल 1.686 है0 भूमि उक्त भूमि नॉन जेड़ए श्रेणी–9(3) ङ की है एवं ग्राम चमतोली चक बांसबाड़ा की ख0खा0सं0–17 के खसरा सं0 322 रकवा 1.016 है0 भूमि मध्ये 0.478 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किया गया है। उक्त भूमि नॉन जेड़ए श्रेणी–9(4) ङ की है तथा उक्त भूमि में पूर्व में अन्य योजनान्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

अतएव नायब तहसीलदार घाट से प्राप्त जांच आख्या मय संलग्न रा0उ0नि0 मोख तथा रा0उ0नि0 बूरा द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न–यथोपारि।

भवदीय,
(राजकुमार पाण्डेय)
उपजिलाधिकारी,
चमोली।

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण से प्रभावित होने वाली 9.053 है0 वनभूमि के एवज में ग्राम चमतोली चक बांसवाड़ा, रा0उ0नि0 क्षेत्र मोख तहसील घाट की ख0खा0सं0–4 के खसरा सं0–300 रकबा 0.688 है0 भूमि मध्ये 0.641 है0, खसरा संख्या–319 रकबा 0.268 है0 भूमि मध्ये 0.201 है, खसरा सं0–320 रकबा 0.162 है0 भूमि मध्ये 0.141 है, खसरा सं0– 323 रकबा 0.703 है0 कुल 1.686 है0 भूमि, उक्त भूमि नॉन जेडए श्रेणी–9(3)ड, की है एवं ग्राम चमतोली चक बांसवाड़ा की ख0खा0सं0–17 के खसरा सं0–322 रकबा 1.016 है0 भूमि मध्ये 0.478 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किया गया है। उक्त भूमि नॉन जेडए श्रेणी–10(4)ड, की है तथा उक्त भूमि पूर्व में अन्य योजनान्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

हरीश सिंह भण्डारी
रा0 उ0 नि0 मोख
तहसील.........
जिला–चमोली

प्रतिहस्ताक्षरित
23/10/24

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण से प्रभावित होने वाली 9.053 है0 वनभूमि के एवज में ग्राम जोखना, रा0उ0नि0 क्षेत्र बूरा तहसील घाट की ख0खा0सं0–5 के खसरा सं0–807 एकबा 26.579 है0 भूमि मध्ये 10.942 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किया गया है। उक्त भूमि नॉन जेडए श्रेणी–9(3)ड, की है तथा उक्त भूमि पूर्व में अन्य योजनान्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

रा0 उ0 नि0
तहसील घाट

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग (चमोली)।
Office of the Executive Engineer, P.D, P.W.D. Karanprayag
E-Mail: eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 2469 /10एल०ए० दिनांक 05 /12 /2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एंव सुधारीकरण हेतु 9.053 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 1405/छब्बीस–एल.ए.सी. (2024–2025) दिनांक 25.11.2024।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपको एंव इस कार्यालय को सम्बोधित है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषय वर्णित प्रकरण में आपके द्वारा अपने पत्र संख्या 1040/12–1 दिनांक 30.08.2024 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल का जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण के स्वीकृति आदेश में **सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उसमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है तथा यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया हो**, को इंगित करते हुये प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय चमोली के सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र में वर्णित चयनित भूमि का पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है से सूचित करते हुये प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अवगत कराने हेतु लिखा गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुये जिलाधिकारी महोदय चमोली एंव इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय
5/12/24
(इं० नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।

पत्रांक /10एल०ए० दिनांक / /2024

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी चमोली को उक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉं वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर को उक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उपजिलाधिकारी चमोली को उनके पत्रांक 69/एस.पी.ए.–विविध (2024–2025) दिनांक 11–11–2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।

Computer Sandrbh.311

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या– 1405/छब्बीस–एल0ए0सी0 (2024–2025) दिनॉक गोपेश्वर 25 नवम्बर 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
कर्णप्रयाग।

विषय– जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तगर्त विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अंतगर्त नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के चौडीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के प्रत्यावर्तन करने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उप जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्र संख्या–69/एस0पी0ए0–विविध (2024–25) दिनॉक 11.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तगर्त विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अंतगर्त नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के चौडीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 है0उक्त चयनित भूमि का पूर्व में अन्य योजनान्तगर्त अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अंतगर्त पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

अतएव संदर्भित पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत–कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवंगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

प्रभारी अधिकारी
कृते–जिलाधिकारी चमोली।

वन भूमि
3/12/24

3/12/24

प्रति स0अ0 (1) को पत्रानुसार कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

3/12

3/12

संलग्नक - 2(i)

प्रस्ताव का नामः- जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र थराली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण से प्रभावित होने वाली 9.053 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रमाण–पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु 9.053 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल ग्राम जोखना रा0उ0नि0 क्षेत्र बूरा तहसील घाट की ख0खा0सं0–5 के खसरा सं0 807 में 10.942 है0 भूमि में किसी भी योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं हुआ है।

वन क्षेत्राधिकारी,
चमोली रेंज।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

प्रस्ताव का नामः- जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र थराली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण से प्रभावित होने वाली 9.053 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रमाण–पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु 9.053 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल ग्राम चमतोली चक बांसवाड़ा रा0उ0नि0क्षेत्र मोख की खखा0सं0–04 के खसरा सं0–300 में 0.641 है0, खसरा सं0 319 में 0.201 है0, खसरा सं0–320 में 0.141 है0, खसरा सं0–323 में 0.703 है0 कुल 1.686 है0 भूमि एवं चमतोली चक बांसवाड़ा की ख0खा0सं0–17 के खसरा सं0 322 में 0.478 है0 भूमि में किसी भी योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी,
नन्दप्रयाग रेंज।
वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रस्ताव का नाम:- जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र थराली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण से प्रभावित होने वाली 9.053 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रमाण–पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के चौडीकरण हेतु 9.053 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल ग्राम धनसारी की की ख0खा0सं0 12 के खसरा सं0–2155 में 2.00 है0, खसरा सं0–1842 में 1.00है0, खसरा सं0–308 में 2.00है0 कुल 5.00है0 भूमि में किसी भी योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं हुआ है।

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर रेंज
नारायणबगड़ चमोली

(वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ चमोली — stamp)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Scanned with CamScanner

सलग्न-3(1)

परियोजना का नामः— जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्द्रप्रयाग घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

क्र0सं0	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	धनराशि (रू0 में)
1	ग्राम–धनसारी सिविल सोयम भूमि।	5.00	1854510.00
2	ग्राम जोंखना, सिविल।	10.942	4058410.00
3	ग्राम चमतोली चक बांसवाड़ा सिविल भूमि।	2.164	802632.00
	कुल	**18.106**	**6715552.00**

Checked For Rs 6715552/-

Forest

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

योजना का नामः— जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्द्रप्रयाग घाट मोटर मार्ग के चोड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन।

क्र0सं0	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
1.	ग्राम–धनसारी सिविल सोयम भूमि।	5.00
	योग	**5.00**

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय योजना

क्र0 सं0	रोपित प्रजातियां	संख्या
1.	बांज, काफल, आंवला, पदम इत्यादि	5500
	रोपित कुल पौध	**5500**

प्रथम चरण

क्र0 सं0	कार्यमद का विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर (प्रति रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	5.000	है0	168.00	840.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान) आदि	5.000	है0	5446.00	27230.00
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	5.00	है0	48000.00	240000.00
4	गडढे खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित (प्रति गड़डा 25 ग्राम)	5500	गडढे	11.00	60500.00
6	पाधौं की कीमत (प्रथम वर्ष) उगाने का	5500	पौधे	10.00	55000.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयत्र औजार तेज करना एवं निरीक्षण बटिया	5.00	है0	1350.00	6750.00
8	कन्टृर नाली खुदान व रेखाकंन	1175.00	र0मी0	93.30	109627.50
9	जल संरक्षण कार्य एवं भूमि संरक्षण कार्य	5.00	सं0	25000.00	125000.00
	योग– प्रथम चरणः–				**624947.50**

द्वितीय वर्ष

1	गडढे भरान कार्य	5500	सं0	2.00	11000.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	5500	सं0	3.00	16500.00
3	पौध ढुलान कार्य	5500	सं0	13.00	71500.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	5500	सं0	4.00	22000.00
5	पौंधों की प्रथम निराई गुडाई	5500	सं0	2.75	15125.00
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	5500	सं0	2.40	13200.00
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख पर व्यय 7 माह	7	माह	1000.00	35000.00
9.	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाजर घास/काला बांसा)	4.500	है0	1800.00	8100.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	50000.00
10	बोर्ड क्रय कर लगाना एंव अन्य व्यय	1.000	सं0	L.S	18000.00
11	जल संरक्षण कार्य एवं भूमि संरक्षण कार्य	5.00	सं0	25000.00	125000.00
				योग– द्वितीय चरणः–	**385425.00**

	तृतीय वर्ष				
1	रोपण वर्ष के बाद तुतीय वर्ष का रखरखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	माह	1000.00	60000.00
2.	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाचर घास/काला बांसा)	2.00	है0	1800.00	3600.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तंथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	50000.00
3	पौध की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	550	पौधे	13.00	7150.00
4	पौध की ढुलान	550	पौधे	13.00	7150.00
5	पुनः गढ्ढा खोदना एवं रोपण कार्य	550	पौधे	6.00	3300.00
6	गढ्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	6	कु0	285.00	1710.00
7	पौधों की शीतकालीन मचलिंग	550	पौधे	2.38	1309.00
				योग तृतीय चरणः–	**134219.00**
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	60000.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	50000.00
	योग चतुर्थ चरणः–				**110000.00**
	पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	60000.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	40000.00
	योग पचम चरणः–				**100000.00**
	छठा वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	60000.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	40000.00
	योग छठा चरणः–				**100000.00**
	सातवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	60000.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	40000.00
	योग सातवां चरणः–				**100000.00**
	आठवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	60000.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	40000.00
	योग आठवां चरणः–				**100000.00**
	नौवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	60000.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	40000.00
	योग नौवां चरणः–				**100000.00**
	दसवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	60000.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	40000.00
	योग दसवां चरणः–				**100000.00**

5– कुल व्यय सांरास प्रति है0 व कुल व्यय

क्र0 सं0	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय
1	प्रथम वर्ष	624947.50

2	द्वितीय वर्ष				385425.00
[illegible]	तृतीय वर्ष				134219.00
4	चतुर्थ वर्ष				110000.00
5	पंचम वर्ष				100000.00
6	षष्ठम वर्ष				100000.00
7	सप्तम वर्ष				100000.00
8	आठवां वर्ष				100000.00
9	नवम् वर्ष				100000.00
10	दसम वर्ष				100000.00
	कुंल रूपयें				**1854591.50**
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1454/3–5–2 दिनांक 01.07. 2021 के अनुसार वसूली वर्ष 2021–22 हेतु देय दर प्रति है0 रू0 370902.00		5.000	ha	370902.00	1854510.0
या देय कुल धनराशि					**1854510.00**

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Checked For Rs 18,54,510/-
D/Man
Forest

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर रजि, नारायणबगड़

ए० योजना का नामः– जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्द्रप्रयाग घाट मोटर मार्ग के चोड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन।

क्र0सं0	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
1.	ग्राम जोंखना,	10.942
	योग	**10.942**

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय योजना

क्र0 सं0	रोपित प्रजातियां	संख्या
1.	बांज, तेजपात, कचनार, बांस, आवंला, पदम, सिमला, तुन, सिरस इत्यादि।	12036
	रोपित कुल पौध	**12036**

प्रथम चरण

क्र0 सं0	कार्यमद का विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर (प्रति रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	10.942	है0	168.00	1838.26
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान) आदि	10.942	है0	5446.00	59590.13
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	10.942	है0	48000.00	525216.00
4	गडढे खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित (प्रति गड़डा 25 ग्राम)	12036	गडढे	11.00	132396.00
6	पाधौं की कीमत (प्रथम वर्ष) उगाने का	12036	पौधे	10.00	120360.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयत्र औजार तेज करना एवं निरीक्षण बटिया	10.942	है0	1350.00	14771.70
8	कन्टूर नाली खुदान व रेखाकंन	10.942	र0मी0	93.30	1020.89
9	भूमि संरक्षण एंव जल संरक्षण कार्य	20.000	सं0	30000.00	600000.00
	योग– प्रथम चरणः–				**1455192.98**
	द्वितीय वर्ष				
1	गडढे भरान कार्य	12036	सं0	2.00	24072.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	12036	सं0	3.00	36108.00
3	पौध ढुलान कार्य	12036	सं0	13.00	156468.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	12036	सं0	4.00	48144.00
5	पौंधों की प्रथम निराई गुडाई	12036	सं0	2.75	33099.00
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	12036	सं0	2.40	28886.40
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख पर व्यय 7 माह	7	माह	1000.00	76594.00
9	साईन बोर्ड क्रय करना	1	सं0	L.S	15000.00
10	भूमि संरक्षण एंव जल संरक्षण कार्य	20.000	सं0	30000.00	600000.00
11	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाजर घास/काला बांसा)	10.000	है0	1800.00	18000.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तंथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	50000.00
				योग– द्वितीय चरणः–	**1086371.40**

	तृतीय वर्ष				
1	रोपण वर्ष के बाद तुतीय वर्ष का रखरखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	माह	1000.00	131304.00
2.	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाचर घास/काला बांसा)	10.000	है0	1800.00	18000.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तंथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	50000.00
3	पौध की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	1204	पौधे	13.00	15652.00
4	पौध की ढुलान	1204	पौधे	13.00	15652.00
5	पुनः गढ्ढा खोदना एवं रोपण कार्य	1204	पौधे	6.00	7224.00
6	गढ्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	25	कु0	285.00	7125.00
7	पौधों की शीतकालीन मचलिंग	1204	पौधे	2.38	2865.52
				योग तृतीय चरणः-	**247822.52**
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	131304.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	50000.00
	योग चतुर्थ चरणः-				**181304.00**
	पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	131304.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	50000.00
	योग पचम चरणः-				**181304.00**
	छठा वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	131304.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	50000.00
	योग छठा चरणः-				**181304.00**
	सातवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	131304.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	50000.00
	योग सातवां चरणः-				**181304.00**
	आठवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	131304.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	50000.00
	योग आठवां चरणः-				**181304.00**
	नौवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	131304.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	50000.00
	योग नौवां चरणः-				**181304.00**
	दसवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	131304.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	50000.00
	योग दसवां चरणः-				**181304.00**

5– कुल व्यय सांरास प्रति है0 व कुल व्यय

क्र0 सं0	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय
1	प्रथम वर्ष	1455192.98

2	द्वितीय वर्ष	1086371.40			
[illegible]	तृतीय वर्ष	247822.52			
4	चतुर्थ वर्ष	181304.00			
5	पंचम वर्ष	181304.00			
6	षष्ठम वर्ष	181304.00			
7	सप्तम वर्ष	181304.00			
8	आठवां वर्ष	181304.00			
9	नवम् वर्ष	181304.00			
10	दसम वर्ष	181304.00			
	कुंल रूपयें	**4058514.90**			
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1454/3–5–2 दिनांक 01.07.2021 के अनुसार वसूली वर्ष 2021–22 हेतु देय दर प्रति है0 रू0 370902.00		10.942	ha	370902.00	4058409.7
या देय कुल धनराशि					**4058410.00**

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Checked For Rs 40,58,410/-
D/Man
Forest

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के चोड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन।

क्र0सं0	*क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम*	*क्षेत्रफल (है0 में)*
1.	ग्राम चमतोली चक बांसवाड़ा	2.164
	योग	**2.164**

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय योजना

क्र0 सं0	**रोपित प्रजातियां**	**संख्या**
1.	बांज, तेजपात, कचनार, बांस, आवंला, पदम, सिमला, तुन, सिरस इत्यादि।	2380
	रोपित कुल पौध	**2380**

प्रथम चरण

क्र0 सं0	**कार्यमद का विवरण**	**मात्रा**	**इकाई**	**इकाई दर (प्रति रू0)**	**योग**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	सर्वे एवं सीमांकन	2.164	है0	168.00	363.55
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान) आदि	2.164	है0	5446.00	11785.14
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	2.164	है0	48000.00	103872.00
4	गडढे खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित (प्रति गड़डा 25 ग्राम)	2380	गडढे	11.00	26180.00
6	पाधौं की कीमत (प्रथम वर्ष) उगाने का	2380	पौधे	10.00	23800.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयत्र औजार तेज करना एवं निरीक्षण बटिया	2.164	है0	1350.00	2921.40
8	कन्टूर नाली खुदान व रेखाकंन	500.00	र0मी0	93.30	46650.00
9	जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण कार्य	7.00	सं0	25000.00	175000.00
	योग– प्रथम चरणः–				**390572.10**
	द्वितीय वर्ष				
1	गडढे भरान कार्य	2380	सं0	2.00	4760.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	2380	सं0	3.00	7140.00
3	पौध ढुलान कार्य	2380	सं0	13.00	30940.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	2380	सं0	4.00	9520.00
5	पौंधों की प्रथम निराई गुडाई	2380	सं0	2.75	6545.00
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	2380	सं0	2.40	5712.00
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख पर व्यय 7 माह	7	माह	1000.00	15148.00
9	साईन बोर्ड क्रय करना	1	सं0	L.S	10700.00
9.	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाजर घास/काला बांसा)	2.000	है0	1800.00	3600.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तंथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	20000.00
				योग– द्वितीय चरणः–	**114065.00**

	तृतीय वर्ष				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	माह	1000.00	25968.00
2.	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाचर घास/काला बांसा)	1.000	है0	1800.00	1800.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तंथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	10000.00
3	पौध की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	238	पौधे	13.00	3094.00
4	पौध की ढुलान	238	पौधे	13.00	3094.00
5	पुनः गढ्ढा खोदना एवं रोपण कार्य	238	पौधे	6.00	1428.00
6	गढ्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	2	कु0	285.00	570.00
7	पौधों की शीतकालीन मचलिंग	238	पौधे	2.38	566.44
				योग तृतीय चरणः–	**46520.44**
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	25968.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	10000.00
	योग चतुर्थ चरणः–				**35968.00**
	पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	25968.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	10000.00
	योग पचम चरणः–				**35968.00**
	छठा वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	25968.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	10000.00
	योग छठा चरणः–				**35968.00**
	सातवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	25968.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	10000.00
	योग सातवां चरणः–				**35968.00**
	आठवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	25968.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	10000.00
	योग आठवां चरणः–				**35968.00**
	नौवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	25968.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	10000.00
	योग नौवां चरणः–				**35968.00**
	दसवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	25968.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	10000.00
	योग दसवां चरणः–				**35968.00**

5– कुल व्यय सांरास प्रति है0 व कुल व्यय

क्र0 सं0	**वर्ष का नाम**	**प्रति है0 व्यय**
1	प्रथम वर्ष	390572.10

2	द्वितीय वर्ष				114065.00
	तृतीय वर्ष				46520.44
4	चतुर्थ वर्ष				35968.00
5	पंचम वर्ष				35968.00
6	षष्ठम वर्ष				35968.00
7	सप्तम वर्ष				35968.00
8	आठवां वर्ष				35968.00
9	नवम् वर्ष				35968.00
10	दसम वर्ष				35968.00
	कुंल रूपयें				**802933.54**
	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1454/3–5–2 दिनांक 01.07.2021 के अनुसार वसूली वर्ष 2021–22 हेतु देय दर प्रति है0 रू0 370902.00	2.164	ha	370902.00	802631.9
	या देय कुल धनराशि				**802632.00**

(बी० एस० परमार)
वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Checked For Rs 8,02,632/-
D/Man
Forest

(संलग्नक 4)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204 Email- eepdpwdkpg@gmail.com

प्रमाण पत्र

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी0 यू0सी0पी0/06/86/2021 एफ0सी0/1141 दिनांक 06.12.2021 के बिन्दु संख्या 3 (ङ) अनुपालन में नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग का सर्वेक्षण किया गया जिसमें पूर्व निर्मित मार्ग की निम्नलिखित पांच बिन्दुओं पर चौड़ाई निम्न प्रकार है–

किमी.	चैनेज (0.000)	चैनेज (0.250)	चैनेज (0.500)	चैनेज (0.750)	चैनेज (1.000)
01	7.20 मी.	6.50 मी.	6.00 मी.	6.00 मी.	6.50 मी.
02	6.50 मी.	7.00 मी.	5.50 मी.	4.00 मी.	7.00 मी.
03	6.10 मी.	8.00 मी.	6.00 मी.	5.50 मी.	6.10 मी.
04	6.10 मी.	7.05 मी.	6.20 मी.	6.00 मी.	8.00 मी.
05	6.00 मी.	6.50 मी.	4.70 मी.	5.80 मी.	6.70 मी.
06	6.70 मी.	6.25 मी.	6.75 मी.	5.50 मी.	6.60 मी.
07	6.60 मी.	10.30 मी.	6.50 मी.	5.20 मी.	7.30 मी.
08	7.30 मी.	5.80 मी.	6.20 मी.	8.80 मी.	5.05 मी.
09	5.05 मी.	6.60 मी.	7.25 मी.	6.05 मी.	5.80 मी.
10	5.80 मी.	7.25 मी.	6.40 मी.	5.70 मी.	6.10 मी.
11	6.10 मी.	4.55 मी.	5.90 मी.	5.45 मी.	7.05 मी.
12	7.05 मी.	5.85 मी.	4.55 मी.	6.00 मी.	7.50 मी.
13	7.50 मी.	5.70 मी.	5.15 मी.	9.30 मी.	7.45 मी.
14	7.45 मी.	6.05 मी.	5.60 मी.	5.50 मी.	6.60 मी.
15	6.60 मी.	6.15 मी.	5.05 मी.	6.20 मी.	5.45 मी.
16	5.45 मी.	5.80 मी.	5.75 मी.	7.00 मी.	5.80 मी.
17	5.80 मी.	6.05 मी.	8.25 मी.	5.90 मी.	6.05 मी.
18	6.05 मी.	6.55 मी.	7.10 मी.	6.90 मी.	6.45 मी.
19	6.00 मी.	8.25 मी.	6.40 मी.	5.70 मी.	6.10 मी.

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

(संलग्नक- 5)

<u>प्रस्ताव का नाम :–</u> मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रस्ताव संख्या :– **FP/UK/Road/143929/2021**

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि वन विभाग की मांग के अनुरूप रू. 1,43,65,337.00 आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से खाता संख्या– 1508961143929762 में जमा कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

(संलग्न-6)

प्रतिपर्ण/Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन

Application for RTGS/NEFT Remittance

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

दिनांक/Date: 3/1/2022

Received From EXECUTIVE ENGINEER : PD PWD KARANPRAYAG से प्राप्त किये

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए
By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

भारतीय स्टेट बैंक/State Bank of India, कर्णप्रयाग, चमोली, KARANPRAYAG, CHAMOLI, BRANCH CODE 02385, 03 JAN 2022

बैंक/Bank: Union Bank of India

शाखा/Branch: Lodhi Complex Branch Bhikaji Cama Complex New Delhi

के पक्ष में/Favouring: UTTARANCHAL COMPA

IFSC Code: UBIN0903710

A/c No. 1560[illegible]762

राशि (रुपये)/Amount ₹ 14365337-

Bank Charges: ₹

कुल राशि/Total: ₹ 14365337-

रुपये (शब्दों में) Rupees (in words) One Crore Forty Three Lakh Sixty five Thousand Three Hundred and Thirty Seven Rupees only

SBINR52022010359925111

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

(संलग्नक-7)

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 797 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वनभूमि हस्तान्तरण ।

प्रस्ताव संख्याः– **FP/UK/Road/143929/2021**

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस – पास आई0आर0सी0 मानकों के अनुसार दोनों किनारों एवं उनके बीच में रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारापेण विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
कर्णप्रयाग